

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की कार्यवाही के अन्तर्गत 35 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 15 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – भोला साहनी पुत्र बनारसी साहनी निवासी सिरसी 2- रामअशीष राजभर पुत्र बीरबल राजभर निवासी अशरफपुर थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10 व 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर क्रमशः मु0अ0सं0 754 / 2020 व 755 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ 02 अभियुक्त नाम पता 1 – लवकुश पुत्र रामसूरज निवासी कस्बा बखिरा 2- अमर सिंह पुत्र राममिलन निवासी राजा मार्केट कस्बा बखिरा थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 05- 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 459 / 2020 व 460 / 2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ अभियुक्ता नाम पता चतुरादेवी पत्नी बाबूलाल निवासी भेड़ौरा पिकौरा दक्षिण टोला थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बेलहरकला पर मु0अ0सं0 229 / 2020 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी ।

संतकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता तुफैल अहमद पुत्र अब्दुल हमीद निवासी पकरी अराजी थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

थाना महुली पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता रामकरन पुत्र भगहु निवासी मानपुर थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार

● **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा मार्ग दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत इवेन्ट संख्या 07871 से कालर ने मार्ग दुर्घटना मे एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटना स्थल पर 04 मिनट में पहुंचकर दुर्घटना मे घायल व्यक्ति को पीआरवी वाहन से प्रा0स्वा0केन्द्र मलौली मे भर्ती कराया गया तथा दुर्घटना के संबंध मे थाना धनघटा को सूचित किया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाई गई , जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई ।

पीआरवी स्टाफ –आ0 रविकान्त कुशवाहा, हो0चा0 राकेश सिंह ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 201 वाहनो से 161500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 28-12-2020 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 201 वाहनो से 161500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।